

न्यायालय अपीलीय अधिकारी, अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम), जयपुर

अपील संख्या: 02/2018 (सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005)

कैलाश शर्मा पुत्र श्री दामोदर शर्मा निवासी ग्राम मानपुर देवरी उर्फ गोल्यावास, 60 बीघा की ढाणी, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर ।

...अपीलांत

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं (उपखण्ड अधिकारी, जयपुर प्रथम) जिला जयपुर।

...रेस्पाडेन्ट



अपील अन्तर्गत धारा 19 (1) सूचना का अधिकार
अधिनियम, 2005

निर्णय

दिनांक: 28.02.18

अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांत द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 की उपधारा (1) के तहत दिनांक 05.12.2017 का आवेदन-पत्र राज्य लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम के कार्यालय में जमा कराया गया। आवेदन में अंकित सूचना राज्य लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, जयपुर प्रथम द्वारा निर्धारित अवधि 30 दिवस में उपलब्ध नहीं कराने पर यह अपील दिनांक 01.02.2018 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर अपील दर्ज रजिस्टर की गई।

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं (उपखण्ड अधिकारी, जयपुर प्रथम) को अपील मीमों की प्रति प्रेषित कर बिन्दुवार टिप्पणी तलब की गई। अपीलांत स्वयं उपस्थित। अपीलांत ने अभी तक सूचना नहीं मिलने का कथन किया है। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

राज्य लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम से अभी कोई जवाब/टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई है।

फलस्वरूप अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती है राज्य लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, जयपुर प्रथम को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी के आवेदन पत्र दिनांक 05.12.2017 में अंकित वांछित सूचना/रिकार्ड अपीलांत को निशुल्क उपलब्ध करावे। निर्णय की प्रति हस्त कायदा उभय पक्ष को प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 28/02/2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डा. मोहन लाल यादव)
अपीलीय अधिकारी,
अति.कलक्टर-प्रथम, जयपुर